रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 319] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 1974/अग्रहायण 19, 1896
No. 319] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 1974/AGRAHAYANA 19, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 10th December 1974

G.S.R. 687(E).—In pursuance of clause (a) of section 19 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. G.S.R. 1848 dated the 4th December, 1971.

[No. VI/401/34/71]

विदेश मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1974

जी०एस०आर० 687 (अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 19 के खण्ड (अ) के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की 4 दिसम्बर 1971 की अधिसूचना सं० जी०एस०आर० 1848 को रद्द करती है ।

[सं० छह/401/34/71]

G.S.R. 688(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 15 of the Passport Rules, 1967, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) Every special endorsement referred to in section 19 shall be in the following form, namely:—

FORM

This passport is hereby made valid under section 19 of the Passports Act, 1967, for travel through or visiting ———————— for a maximum period of ————————days/months, from the date of this endorsement."

[No. VI/401/34/71]

V. C. TRIVEDI, Secy.

जी०एस०आर० 688 (अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियम 1967 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) ये नियम पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 1974 कहे जायेंगे।

(2) सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से ये लागू समझे जायेंगे।

2. पासपोर्ट नियम 1967 के नियम 15 में उप-खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जायेगा, जैसे —

"(2) धारा 19 में निर्दिष्ट प्रत्येक विशेष पृष्ठांकन निम्न प्रकार का होगा, जैसे—

फार्म

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 19 के अन्तर्गत यह पासपोर्ट इस के द्वारा
से हो कर या में यात्रा के लिए इस पृष्ठांकन की तारीख से
दिन / महीनों की अधिकतम अवधि के लिए वैध किया जाता है।"

[सं० छह/401/34/71]

वी० सी० त्रिवेदी, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1974